भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4308
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आश्रय गृहों में बाल शोषण

4308. **श्री वामसि कृष्णा गद्दामः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान संपूर्ण देश के आश्रय गृहों में बाल शोषण के राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितने मामले सामने आए हैं;
(ख) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने आश्रय गृहों में बार-बार होने वाले शोषण के मामलों के लिए जिम्मेदार प्रणालीगत विफलताओं की पहचान की है और यदि हां, तो राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे आश्रय गृहों में जिनमें बाल शोषण के मामले सामने आए हैं, के विरुद्ध की गई जांच/कार्रवाई का तमिलनाडु सहित वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ङ) आश्रय गृहों, विशेष रूप से अत्यधिक भीड़भाड़ वाले आश्रय गृहों में उच्च गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए उपायों और आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश में संरक्षण तंत्रों की प्रभावशीलता का आकलन किया है और यदि हां, तो उनमें पता चली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) (2021में यथा संशोधित) का संचालन करता है। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने का प्राथमिक कानून है। यह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखरेख और संरक्षण के मानकों को परिभाषित करता है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 41 के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों या विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) का पंजीकरण अनिवार्य है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 27-30 बाल कल्याण समितियों को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में उनके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार देती है। इन समितियों को सीसीआई के कार्यों की निगरानी करने का भी अधिदेश प्राप्त है। इसी तरह, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 04-09 किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के कल्याण के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देती है।

जेजे अधिनियम, 2015 और उसके तहत बनाए गए नियमों में राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति और जिला स्तरीय निरीक्षण समिति द्वारा बाल देखरेख संस्थानों के निरीक्षण का प्रावधान है। जिला स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। जिला स्तरीय निरीक्षण समिति जिले में सभी सीसीआई का निरीक्षण करती है और जेजे अधिनियम, 2015 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीसीआई के सुधार और विकास के लिए जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। जिला मजिस्ट्रेट निरीक्षण समितियों की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि समयबद्ध तरीके से सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

भारत सरकार ने यौन शोषण से बच्चों को कड़ी सुरक्षा प्रदान करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है। पॉक्सो अधिनियम, 2012 में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। बच्चों के प्रति यौन अपराध करने वालों के लिए मृत्युदंड सहित

अधिक कठोर दंड का प्रावधान के लिए 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि अपराधियों को डराया और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोका जा सके। पॉक्सो अधिनियम की धारा-21 के अनुसार, पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की अनिवार्य रिपोर्ट के प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं,जो मामले की रिपोर्ट या रिकॉर्ड करने में विफलता के लिए दंड का प्रावधान करता है।

पॉक्सो नियम, 2020 में स्कूलों और देखरेख गृहों में कर्मचारियों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन, बाल यौन शोषण सामग्री (पोर्नोग्राफी) की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, आयु-अनुकूल बाल अधिकार शिक्षा प्रदान करने इत्यादि के प्रावधान शामिल हैं। ये नियम यह भी निर्धारित करते हैं कि संबंधित सरकारों द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, स्कूल और कॉलेज, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशनों, सभा स्थलों, हवाई अड्डों, टैक्सी स्टैंडों, सिनेमा हॉल और ऐसे अन्य प्रमुख स्थानों पर उपयुक्त सामग्री और जानकारी प्रसारित की जाए और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जाए।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) को सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना 'मिशन वात्सल्य' का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में सीएनसीपी और सीसीएल श्रेणी के बच्चों को उनके पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु समाज में मिलाने के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख दोनों सेवाएं शामिल हैं। जेजे अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) और मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ-साथ उम्र के अनुसार उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के तहत देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख और पश्चात देखरेख के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मिशन वात्सल्य के दिशा-निर्देशों में 50 बच्चों की क्षमता वाले बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और अन्य राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 25 बच्चों की क्षमता वाले या राज्यों की आवश्यकता के अनुसार सीसीआई की स्थापना का प्रावधान है।

यह मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है और मिशन वात्सल्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए

उन्हें कई परामर्श भेजे गए हैं। यह मंत्रालय क्षेत्रीय स्तर पर मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन को सशक्त करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समय-समय पर बैठकें,प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करता है। राज्य और जिला स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाइयां योजना की दिन-प्रतिदिन निगरानी करती हैं।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 109 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) जेजे अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। एनसीपीसीआर ने आश्रय गृहों सहित सीसीआई की तत्काल निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर 2019-20 से 2023-24 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर के आश्रय गृहों सहित सीसीआई में बाल शोषण की 56 शिकायतें दर्ज की गई हैं। एनसीपीसीआर पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित जिला प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण को भेज दिया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान एनसीपीसीआर के पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए आश्रय गृहों सहित सीसीआई में बाल शोषण के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

****

अनुलग्नक

'आश्रय गृहों में बाल शोषण' के संबंध में श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा दिनांक 20.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4308 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान आश्रय गृहों सहित बाल देखरेख संस्थानों में हुए बाल दुर्व्यवहार की राज्य/संघ राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0
5	बिहार	1	2	1	2	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	1	0	0	0
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	1	0	0	0	1
10	गोवा	0	0	0	0	0
11	गुजरात	0	0	0	0	0
12	हरियाणा	0	0	3	1	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
15	लद्दाख	0	0	0	0	0
16	झारखंड	0	2	1	0	0
17	कर्नाटक	1	1	0	0	0
18	केरल	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	1	0	2	0	0
21	महाराष्ट्र	1	0	0	0	0
22	मणिपुर	0	0	0	0	0

23	मेघालय	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	0	4	1	1	1
27	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	0	0	0	0
29	राजस्थान	2	0	4	0	1
30	सिक्किम	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	0	3	5	0	0
32	तेलंगाना	0	0	2	1	0
33	त्रिपुरा	0	0	1	0	0
34	उत्तर प्रदेश	3	0	1	0	1
35	उत्तराखंड	1	0	0	0	1
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
	कुल	**12**	**13**	**21**	**5**	**5**

*****